

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस.

मुकदमा संख्या - 30/19

श्रीमती अंबरकंठर ७०३ श्री हरिसिंह राजपूत निवासी-मेलियारा त. गांडल [वर्ग १]

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती साधरी १० हजारीपाट ७०३ आगसचंद्र पाट निवासी-मेलियारा
हल निवासी गोकलपुरा तहसील-गांडल [वर्ग १] (सिद्धिप्रकारलिखित)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16-4-19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेलियारा पटवार हलका बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 416 420 421 422 कुल कितना 04 रकबा 05 बीघा 15 विरवा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये-दिन-सीमा-संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6-2-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेलियारा पटवार हलका बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 416 420 421 422 कुल कितना 04 रकबा 05 बीघा 15 विरवा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फराल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा